भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5710
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं

5710. **श्री राहुल गांधी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान प्रगति दर क्या है;
(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, बिजली और अन्य अनिवार्य सुविधाओं सहित मूलभूत अवसंरचना का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उपदान देने के संबंध में दिए गए निर्णय के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से प्रति वर्ष 2 लाख सरकारी स्वामित्व वाले आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को बेहतर पोषण प्रदायगी और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में मजबूत और उन्नत किया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला पेंटिंग शामिल हैं।

अब तक, कुल 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 19,004 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया गया है।

(ख): आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार नीति और नियोजन के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना के सभी परिचालन पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित लागत-साझाकरण अनुपात में निधियां जारी करती है।

चूंकि इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती, सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी केवल नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला लाभ है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों /आंगनवाड़ी सहायिकाओं को लाभ का भुगतान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की सेवा शर्तों को तय करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राथमिक प्राधिकरण हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) को मानद कार्यकर्ता होने के नाते, समय-समय पर सरकार द्वारा तय मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार केवल मानदेय का एक हिस्सा देती है। शेष मानदेय का भुगतान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय के अलावा, अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को विभिन्न अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप भी दे रहे हैं।

*****

अनुलग्नक

“आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं” के संबंध में दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5710 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	एडब्लूसी में पाइप्ड वाटर कनेक्शन	पीने के पानी का कनेक्शन	कार्यशील शौचालय	कार्यशील रसोई	स्थायी बिजली कनेक्शन	सौर ऊर्जा चालित विद्युत कनेक्शन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	720	695	720	715	716	679	10
आंध्र प्रदेश	55708	42406	54779	47627	47527	51918	66
अरुणाचल प्रदेश	5835	2651	4196	1576	2291	661	173
असम	61891	21952	51546	16136	23096	32204	1477
बिहार	114451	60824	102518	91076	87902	56122	4684
छत्तीसगढ़	52262	19428	42504	32889	41164	23064	1366
दादरा व नगर हवेली - दमन व दीव	405	402	405	405	403	405	17
दिल्ली	10898	10795	10887	10892	69	10883	15
गोवा	1261	1196	1261	1259	1248	1259	18
गुजरात	53050	48166	52231	51339	49029	52612	2254
हरियाणा	25962	19128	23207	20885	16183	11254	5254
हिमाचल प्रदेश	18929	18367	18711	18640	15571	16074	457
जम्मू एवं कश्मीर	28061	27753	27844	27892	27644	27236	2024
झारखंड	38516	9310	29450	21219	29354	16812	1418
कर्नाटक	69900	55455	63041	64908	64624	63836	4320
केरल	33120	29171	32069	32979	32870	32903	1271
लद्दाख	1172	920	1142	1136	1090	461	10
लक्षद्वीप	59	59	59	59	59	59	0

मध्य प्रदेश	97285	48725	95165	75693	12420	59527	3058
महाराष्ट्र	110571	76233	98922	84351	59620	43697	26840
मणिपुर	11523	3675	10297	8864	7688	6893	401
मेघालय	6095	2086	4043	3401	3065	376	135
मिजोरम	2242	2003	2225	2148	2198	1310	8
नागालैंड	3797	2159	3532	2303	3742	403	1
ओडिशा	74185	23351	74163	38539	58320	41346	3577
पुददुचेरी	855	826	837	826	836	841	122
पंजाब	27314	23825	27059	23933	10143	20652	585
राजस्थान	61922	26534	51475	33682	33928	39161	2316
सिक्किम	1308	1192	1296	1302	1241	438	25
तमिलनाडु	54449	49202	54447	50355	54358	53406	128
तेलंगाना	35687	26582	28941	19027	28475	19717	1026
त्रिपुरा	10197	6542	9057	6942	7529	574	310
संघ राज्य क्षेत्र -चंडीगढ़	450	450	450	450	203	450	0
उत्तर प्रदेश	188883	110547	165554	142964	79743	115667	8695
उत्तराखंड	20039	15500	18578	17637	12987	11440	553
पश्चिम बंगाल	119444	31550	85670	62569	86692	20660	1174
कुल	**1398446**	**819660**	**1248281**	**1016618**	**904028**	**835000**	**73788**